

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17102026-277261
SG-DL-E-17102026-277261असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 2026/आश्विन 23, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 254
No. 310]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2026/ASVINA 23, 1948	[N. C. T. D. No. 254

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2026

फा. सं. 01/80/2026/गृह-प्रशासन/4378-86.—दिल्ली अग्निशमन सेवा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में अग्निशमन ऑपरेटर के पदों को नियंत्रित करने वाले संबंधित भर्ती नियमों के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 320(3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के गृह सचिव के दिनांक 25 मार्च, 2026 की अर्धशासकीय पत्र संख्या 45023/33/2022-पीपी(1) और तत्पश्चात भारत सरकार के गृह सचिव के दिनांक 22.08.2026 की अर्धशासकीय पत्र संख्या 45023/33/2022-पीपी(II) एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19.09.2026 के पत्र संख्या 45023/07/2026-पू0-अग्नि0 (3800614/11) के माध्यम से यथासंप्रेषित पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार के नीतिगत निर्देशों के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद द्वारा दिल्ली अग्निशमन सेवा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में अग्निशमन ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए दिनांक 12.08.2026 की पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या एसजी-डीएल-ई-12082026-275416 में अधिसूचित शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात:-

1. क्रम संख्या 3 पर स्थित पूर्ववर्ती शर्त को अब निम्न से प्रतिस्थापित कर दिया गया है-
“पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण और भारी वाहनों को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाएगी।”
2. इसके अतिरिक्त, क्रम संख्या 5 के पश्चात शर्त संख्या 6 को अन्तःस्थापित किया गया है, अर्थात:-
“पूर्व अग्निवीरों की भर्ती भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार की जाएगी।”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

भूप सिंह, उप सचिव (गृह)

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 15th October, 2026

F. No. 1/80/2026/Home-Admn./4378-86.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 and proviso to Article 320(3) of the Constitution of India, read with the relevant Recruitment Rules governing the post of Fire Operator in Delhi Fire Service, Government of the National Capital Territory of Delhi, and in pursuance of the policy directions of the Government of India for rehabilitation of Ex- Agniveers, as communicated vide D.O. Letter No. 45023/33/2022-PP(1) dated 25th March, 2026 of the Home Secretary, Government of India and subsequent D.O. Letter No. 45023/33/2022- PP (I) dated 22.08.2026 of Home Secretary, Government of India, and the letter No. 45023/07/2026-Ex-Agvr (3800614/11) dated 19.09.2026 of Ministry of Home Affairs, Government of India, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to amend the conditions notified in the earlier notification No. SG-DL-E-12082026-275416 dated 12.08.2026 to provide 20% horizontal reservation for Ex-Agniveers in direct recruitment to the post of Fire Operator in Delhi Fire Service, Government of the National Capital Territory of Delhi to the extent, namely:-

1. The earlier condition at serial number 3 now is substituted with
“Ex-Agniveers shall be exempted from Written Examination, Physical Standard Test, Physical Efficiency Test, and requirement of driving license for heavy duty vehicles”.
2. Further, conditions No. 6 is inserted after serial no. 5 i.e.
“The recruitment of Ex-agniveers will be undertaken as per the instructions issued by the Ministry of Home Affairs , Government of India from time to time”.

By the Order and in the Name of Lieutenant
Governor of National Capital Territory of Delhi,

BHOOP SINGH, Dy. Secy. (Home)